

कृषि उपज मंडी समिति, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) 177001

सूचना

कृषि उपज मंडी समिति, हमीरपुर के अंतर्गत स्थापित उप सब्जी मण्डी सुजानपुर में खाली पड़ी निम्नलिखित दुकानों का आवंटन हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार फल व सब्जी के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए, नीलामी द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित दुकानों में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति/संस्था इत्यादि कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर के कार्यालय स्थित दोसड़का से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड की official website <https://www.hpsamb.hp.gov.in/> से भी download कर सकते हैं।

मंडी का नाम	धरातल में दुकान विवरण	कुल संख्या	न्यूनतम किराया प्रति दुकान (जीएसटी अलग से)	आरक्षित श्रेणी	उद्देश्य
उप सब्जी मण्डी सुजानपुर	1, 2, 3 व 4	4	2341	खुली नीलामी	फल व सब्जी के अतिरिक्त अन्य कार्य करने हेतु

आवेदन पत्र कृषि उपज मंडी समिति, हमीरपुर के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी आवेदन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा।

1. आवेदक को आवंटन प्रक्रिया के दौरान 10000/-रुपये की आरक्षित राशि नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पहले कार्यालय में जमा करवानी होगी। जो कि सफलबोली दाता की प्रतिभूति राशि में समायोजित की जाएगी तथा बाकि आवेदकों को नीलामी के बाद वापिस कर दी जाएगी।
2. सफल बोलीदाता को आवंटित दुकान के छः माह के किराए के बराबर प्रतिभूति राशि कब्जा लेने से पहले जमा करवानी होगी।
3. सफल बोलीदाता को दुकान के आवंटन के 10 दिनों के भीतर कब्जा लेना अनिवार्य होगा तथा सचिव कृषि उपज मंडी समिति के साथ अनुबन्ध/लाईसेन्स डीड बनवानी होगी। अन्यथा आरक्षित राशि को जब्त करके आवंटन रद्द समझा जाएगा।
4. न्यूनतम बोली तकनीकी शाखा द्वारा निर्धारित किराये से शुरू की जाएगी।
5. सूचना प्रकाशन होने की तिथि से पहले व प्रकाशन की तिथि के 45 दिनों के बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे।
6. दुकान में किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धित पदार्थ बेचना वर्जित होगा।
7. सफल बोली दाता को भविष्य में दुकान में कारोबार के दौरान लोकल टैक्स, नगर परिषद इत्यादि की सभी देय राशियों का वहन स्वयं करना होगा।
8. सफल बोली दाताओं द्वारा आवंटित दुकानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन व अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा यदि आवश्यक होगा तो समिति से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
9. सफल बोली दाता यदि भविष्य में दुकान छोड़ना चाहेगा तो उसको एक माह पहले समिति का अवगत करवाना अनिवार्य होगा।
10. सफल बोली दाता आवंटित दुकान को आगे किराये पर नहीं दे सकता।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (दूरभाष न0 9906953728)


Secretary
Agriculture Produce Market Committee
Hamirpur (H.P.)-177030

दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर
जिला हमीरपुर।

विषय:— उप सब्जी मण्डी सुजानपुर में दुकान आबंटन हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं आपके द्वारा विज्ञापित उप सब्जी मण्डी सुजानपुर में दुकान आवंटित करवाने का इच्छुक हूँ। इस सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत और व्यवसायिक विवरण नीचे दिया गया है:

1. आवेदक का व्यक्तिगत विवरण:—

- आवेदक का पुरा नाम:.....
- पिता/पति का नाम:.....
- स्थाई पता:.....
- पत्राचार का पता:.....
- दूरभाष न०/मो० न०.....
- (स्थाई निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें) आधार कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड की प्रति

2. व्यवसाय का विवरण जो दुकान में करना चाहते हैं।

3. आवेदक फर्म का नाम व पता यदि कोई हो तो:— मै०

घोषणा: मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह से सत्य और सटीक है। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो संस्था को मेरा आवंटन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। मैं संस्था द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर:
आवेदक का नाम: